


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2015 ढलाराम बनाम राजस्थान विद्युत प्रसारण  
निगम अंतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

02.05.2018

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट तनावडा में पेश हुई वकुलाय फरीकेन  
उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस करते हैं तथा प्रार्थना पत्र  
को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक फरीक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
बूणी (बोधपुर) राज.